

कार्यालय, अध्यक्ष काउंसलिंग समिति, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश

टैगोर छात्रावास क्रमांक-टी2, प्रथम तल, श्यामला हिल्स, दूरदर्शन रोड, भोपाल-462002

फोन:- 0755-2660441 ईमेल:- [dte.helpcenter@mp.gov.in](mailto:dte.helpcenter@mp.gov.in)

क्रमांक-शैक्ष./04/जी/2024/483

भोपाल, दिनांक :-17/5/2024

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/संचालक/प्राचार्य,  
समस्त तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थायें,  
मध्यप्रदेश।

विषय :- शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की निरंतरता (EOA), प्रवेश क्षमता, प्रवेश क्षमता में वृद्धि, नवीन पाठ्यक्रमों की स्वीकृति, विश्वविद्यालय की संबद्धता, AFRC द्वारा शुल्क निर्धारण एवं काउंसलिंग हेतु संस्थाओं की सहमति इत्यादि की जानकारी पोर्टल पर अद्यतन करने विषयक।

-000-

शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिये संविधिक निकायों द्वारा तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की निरंतरता (EOA), प्रवेश क्षमता इत्यादि के संबंध में निर्देश जारी किये हैं। प्रदेश स्थित समस्त तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं के लिये काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होने हेतु सहमति, AICTE/COA/PCI द्वारा जारी पाठ्यक्रमों की निरंतरता (EOA), शिक्षण शुल्क का निर्धारण एवं विश्वविद्यालय की संबद्धता इत्यादि की जानकारी अद्यतन करने के लिये काउंसलिंग पोर्टल ([www.dte.mponline.gov.in](http://www.dte.mponline.gov.in)) दिनांक 27/05/2024 से दिनांक 05/07/2024 तक उपलब्ध है।

संस्थायें काउंसलिंग में शामिल होने हेतु अपनी सहमति आवश्यक प्रपत्र इत्यादि नियत समयावधि में ऑनलाईन माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आयुक्त द्वारा अनुमोदित

(डॉ. अरविन्द सिंह तोमर)

उपसंचालक

तकनीकी शिक्षा संचालनालय,  
मध्यप्रदेश

पृष्ठा. क्रमांक-शैक्ष./04/जी/2024/484

भोपाल, दिनांक :-17/5/2024

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव के माध्यम से सचिव तकनीकी शिक्षा, कौशल विभाग एवं रोजगार, मंत्रालय भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एमपीऑनलाईन लिमिटेड, कॉर्पोरेट कार्यालय, चौथा माला, डी.बी. माल, भोपाल को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(डॉ. अरविन्द सिंह तोमर)

उपसंचालक

तकनीकी शिक्षा संचालनालय,  
मध्यप्रदेश

## सूचना

प्रदेश स्थित शासकीय/स्वशासी/अनुदान प्राप्त/विश्वविद्यालयीन एवं निजी क्षेत्र की तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित करने वाली समस्त संस्थाओं सूचित किया जाता है कि, संस्थायें काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होने हेतु, काउंसलिंग की वेबसाईट [dte.mponline.gov.in](http://dte.mponline.gov.in) पर दिनांक 27 मई 2024 से 05 जुलाई 2024 तक सारणी क्रमांक-1 अनुसार कार्यवाही संपादित करें।

सारणी क्रमांक-1		
स.क.	संस्था	कार्यवाही
1	सत्र 2023-2024 में काउंसलिंग में भाग ले चुकी एक्टिव (Active) संस्थाओं के लिये।	आपकी संस्था के जी2जी लॉगिन पर ऑनलाईन सहमति पत्र के फार्मेट में चाही गई सभी प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक भरें और चाहें गये पत्रों की स्वच्छ प्रति अपलोड कर लॉक (Submit) करें।
2	सत्र 2023-2024 या इसके पूर्व के सत्रों में काउंसलिंग शामिल नहीं होने वाली इनएक्टिव (Inactive) संस्थाओं के लिये।	ऐसी संस्थाओं को अपना जी2जी लॉगिन एक्टिव (Active) करवाने के लिये वेबसाईट पर उपलब्ध विक्क लिंक्स में <b>Apply for G2G Login</b> लिंक पर जाकर चाही गई जानकारियां पूर्ण करनी होंगी एवं चाहें गये पत्रों की स्वच्छ प्रति अपलोड कर लॉक(Submit) करना होगा। काउंसलिंग कार्यालय के ऑनलाईन अनुमोदन के उपरान्त स.क. 1 के अनुसार कार्यवाही पूर्ण करना होगी।
3	सत्र 2024-2025 में प्रथम बार AICTE/PCI/COA से Letter of Approval प्राप्त करने वाली नई संस्थाओं/पाठ्यक्रम के लिये।	नई संस्थाओं के लिये जी2जी लॉगिन प्राप्त करने के लिये वेबसाईट पर उपलब्ध विक्क लिंक्स में <b>Apply for G2G Login</b> लिंक पर जाकर चाही गई जानकारियां पूर्ण करनी होंगी एवं चाहें गये पत्रों की स्वच्छ प्रति अपलोड कर लॉक (Submit) करना होगा। काउंसलिंग कार्यालय के ऑनलाईन अनुमोदन के उपरान्त स.क. 1 के अनुसार कार्यवाही पूर्ण करना होगी।


संपादित की जाने वाली कार्यवाही	
स.क.	अपलोड करने वाले दस्तावेज
1	रुपये 500/- के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर संलग्न बंधपत्र, सत्र 2024-2025 में काउंसलिंग में भाग लेने वाली एक्टिव (Active) संस्थाओं के लिये। (शासकीय/स्वशासी/अनुदान प्राप्त/स्ववित्तीय संस्थाओं हेतु लागू नहीं)।
2	AICTE/PCI/COA द्वारा सत्र 2024-25 के लिये विद्यमान संस्थाओं हेतु जारी पाठ्यक्रमों की निरंतरता (EOA), प्रवेश क्षमता में वृद्धि, नवीन पाठ्यक्रमों की स्वीकृति।
3	वर्ष 2024-25 के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा जारी की प्रवेश क्षमता के साथ सम्बद्धता अथवा वर्ष 2023-24 की विश्वविद्यालय की प्रवेश क्षमता की सम्बद्धता के साथ-साथ वर्तमान सत्र की सम्बद्धता के लिये विश्वविद्यालय में जमा की गई फीस की रसीद।
4	वर्ष 2024-25 के लिये AFRC का फीस निर्धारण संबंधी आदेश, अथवा वर्ष 2023-24 की फीस निर्धारण संबंधी आदेश के साथ-साथ वर्तमान सत्र की फीस निर्धारण संबंधी AFRC में जमा की गई फीस की रसीद।
5	संस्थागत प्राथमिकता सीटों (IPS Seats) पर प्रवेश के लिये सहमति हेतु पाठ्यक्रम वार (बी.ई.-बी.टेक./बी. फार्मेसी/डिप्लोमा फार्मेसी/बी.आर्कटेक्चर/इंजीनियरिंग डिप्लोमा एवं डिप्लोमा आर्कटेक्चर पाठ्यक्रम) शपथ पत्र

	रुपये 500/-के नॉन-ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर, देना होगा।
6	सत्र 2024-25 से संस्था/पाठ्यक्रम/ब्रांच बंद करने संबंधी जानकारी।
7	संस्था में अध्यनरत विद्यार्थियों के मूल दस्तावेजों के संबंध में संलग्न प्रपत्र अनुसार वचन पत्र।
8	सी.एम. हेल्पलाईन में संस्था के विरुद्ध की गयी शिकायतों के निराकरण संबंधी वचन-पत्र।
9	नवीन संस्था की स्वीकृति की दशा में <b>AICTE/PCI/COA</b> द्वारा जारी स्वीकृति पत्र ( <b>LOA</b> ), <b>AFRC</b> का फीस निर्धारण संबंधी आदेश, विश्वविद्यालय की सम्बद्धता संबंधी पत्र, तथा तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश को प्रस्तुत बंधपत्र (रुपये 500/- के नॉन-ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर)।
10	<b>(IPS Seats)</b> के लिये, निजी क्षेत्र की ऐसी संस्थायें जिन्हें, ( बी.ई.-बी.टेक./बी.फार्मेसी/डिप्लोमा फार्मेसी/बी. आर्कटेक्चर/इंजीनियरिंग डिप्लोमा एवं डिप्लोमा आर्कटेक्चर पाठ्यक्रम) के लिये सत्र 2024-25 हेतु निरंतरता <b>(EOA)</b> या <b>(LOA)</b> , में अनुमति मिली है, और यदि वे संस्थागत प्राथमिकता सीटों <b>(IPS Seats)</b> पर प्रवेश की इच्छुक हैं तो उन्हें इन सीटों पर प्रवेश के लिये पाठ्यक्रम वार प्रोसेसिंग शुल्क (रुपये 20100/- पोर्टल शुल्क रुपये 100/- सहित) देय होगा, उक्त समस्त शुल्क वापसी योग्य नहीं <b>(Non-Refundable)</b> होगा। पोर्टल पर उक्त भुगतान की रसीद अपलोड करनी होगी।

**नोट:-** समस्त तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम हेतु **EOA/ LOA** मॉड्युल में प्रविष्टियों का सत्यापन ऑनलाईन माध्यम से किया जावेगा। अतः संस्थाओं को परामर्श दिया जाता है कि **EOA/ LOA** मॉड्युल में प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक करें। प्रविष्टियों के प्रमाण के संबंध में आवश्यक दस्तावेजों की स्पष्ट पठनीय प्रतियां अपलोड करें। अपूर्ण, अस्पष्ट व दस्तावेजों के अनुरूप प्रविष्टियां सत्यापन के समय न पाये जाने पर संस्था को काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकेगा। काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिये संस्था से केवल ऑनलाईन मॉड्युल के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरांत, अगामी कार्यवाही, ऑनलाईन माध्यम से ही की जायेगी।

"ऑनलाईन जानकारी प्रस्तुत नही करने के अभाव में संस्था/पाठ्यक्रम को काउंसलिंग में सम्मिलित करना संभव नहीं होगा।"

आयुक्त द्वारा अनुमोदित

  
 (डॉ. अरविन्द सिंह तोमर)  
 उपसंचालक  
 तकनीकी शिक्षा संचालनालय,  
 मध्यप्रदेश